#### प्ररूप 21 ग

#### (नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

062 बहरोड़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

### डॉ जसवन्त सिंह यादव

गाँव-सिलपटा पोस्ट मतलवास तह॰ कोटकासिम जिला-खैरथल-तिजारा जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं। स्थान - बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर

दिनांक - 03.12.2023

िटिनिंग अधिकारी 062 एस.डी.062 वहरोड़

## Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the 062 Behror Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

# Dr. Jaswant Singh Yadav

Village -Silpata Post Matalwas Teh. Kotkasim District- Khairthal-Tijara sponsored by Bharatiya Janata Party has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place – Babu Shobharam Government Arts College Alwar

Dated - 03.12.2023

(Section Anday)

Refuging Office

062 Rehror